राजस्थान सरकार
आबकारी विभाग

संशोधन पत्र

वर्ष 2021–22 के आबकारी बंदोबस्त के संदर्भ में देशी मदिरा, राजस्थान निर्मित मदिरा (RML), भारत निर्मित विदेशी मदिरा, बीयर एवं वाईन खुदरा विक्रय दुकान (कम्पोजिट दुकान) के अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन के संदर्भ में विस्तृत दिशा निर्देश एवं शर्ते–

राज्य सरकार के पत्रांक प.4(1)वित्त/आब/2021 दिनांक 17.02.2021 एवं 28.02.2021 द्वारा आबकारी नीति 2021–22 में संशोधन किया गया है तदनुसार पूर्व में जारी अनुज्ञापत्र की विस्तृत दिशा–निर्देश एवं शर्तो में निम्नानुसार प्रतिस्थापन/संशोधन किया जाता है :–

7.1 सफल बोलीदाता को धरोहर राशि के रूप में वर्ष 2021–22 की वार्षिक गारन्टी राशि की 2% राशि जमा करानी होगी। सफल बोलीदाता के नाम स्वीकृति जारी होने पर देय धरोहर राशि की 50 प्रतिशत (अमानत राशि को समायोजित करते हुए) राशि बोली स्वीकार होने की दिनांक (ई–नीलामी दिवस को छोडकर) 03 दिवस में एवं शेष राशि 07 दिवस में संबंधित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में ई–ग्रास चालान के माध्यम से संबंधित बजट मद के अन्तर्गत राजकोष में जमा करानी होगी।

8.1 अनुज्ञाधारी को वर्ष 2021–22 के लिये वार्षिक गारण्टी राशि का 5 प्रतिशत राशि अग्रिम वार्षिक गारण्टी राशि के रूप में दिनांक 01.04.2021 से पूर्व राजकोष में जमा करानी होगी।

8.2 5 प्रतिशत अग्रिम वार्षिक गारण्टी राशि का वित्तीय वर्ष 2021–22 के माह मार्च में निर्धारित मासिक राशि पूर्ति के लिये मदिरा निर्गम हेतु देय आबकारी ड्यूटी /अतिरिक्त आबकारी ड्यूटी अथवा मासिक राशि में समायोजन किया जा सकेगा।

10.1 वर्ष 2021–22 के लिये दुकानवार ई–नीलामी से प्राप्त अधिकतम बोली सम्बन्धित दुकान के लिये **वार्षिक गारण्टी राशि** के रूप में निर्धारित की जायेगी।

निर्धारित वार्षिक गारन्टी राशि में से न्यूनतम रिजर्व प्राईस के बराबर राशि एवं न्यूनतम रिर्जव प्राईस से अधिक प्राप्त राशि दोनो को अलग–अलग 12 महीनों में बराबर–बराबर बांटी जायेगी।

28.02.2021

न्यूनतम रिजर्व प्राईस राशि के बराबर वार्षिक गारन्टी राशि का निर्धारित मात्रा में मदिरा उठाव कर पूर्ति करनी होगी।

न्यूनतम रिजर्व प्राईस से अधिक प्राप्त राशि पर निर्धारित मात्रा में मदिरा उठाव की शर्त लागू नही होगी। अर्थात न्यूनतम रिजर्व प्राईस से अधिक प्राप्त राशि 12 समान मासिक किश्तों में नगद जमा कराया जा सकता है या किसी भी प्रकार की मदिरा उठाव पर भुगतान किये गये आबकारी शुल्क एवं अतिरिक्त आबकारी शुल्क से समायोजन योग्य होगी।

10.2 वर्ष 2021—22 में प्रचलित देशी मदिरा, राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) भारत निर्मित विदेशी मदिरा, बीयर, वाईन एवं आयातित विदेशी मदिरा (BIO) के मासिक उठाव के लिये जमा कराये गये आबकारी ड्यूटी/अतिरिक्त आबकारी ड्यूटी का भराव सम्बन्धित वर्ष के लिये निर्धारित **वार्षिक गारण्टी राशि** पेटे दिया जायेगा।

10.3 एक त्रैमास में निर्धारित गारण्टी राशि में से त्रैमासिक न्यूनतम रिजर्व प्राईस के बराबर राशि के लिये निर्धारित प्रतिशत से कम मदिरा का उठाव करने पर उस त्रैमास हेतु निर्धारित **गारण्टी राशि** की शेष राशि पृथक से नकद जमा करवानी होगी।

17.4 वित्तीय वर्ष 2021—22 के लिये निर्धारित कम्पोजिट फीस की 50 प्रतिशत राशि 31 मार्च 2021 तक अथवा दुकान प्रारम्भ करने से पूर्व, जो भी पहले हो तथा शेष 50 प्रतिशत कम्पोजिट फीस आगामी तीन माह की अवधि में अर्थात 30 जून, 2021 तक संबंधित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में ई—ग्रास चालान के माध्यम से संबंधित बजट मद के अन्तर्गत राजकोष में जमा करानी होगी।

28.02.2021

आबकारी आयुक्त,
राजस्थान,उदयपुर